Vidhan Sabha Secretariat LIBRARY H Chandigarh

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

5 नवम्बर, 2014

खण्ड-1 अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

बुधवार, 5 नवम्बर, 2014

	पृष्ठ संख्या
घोषणा—	
प्रधान सचिव द्वारा	(3)1
नियम 15 के अधीन प्रस्ताव	(3)1
नियम 16 के अधीन प्रस्ताव	(3)2
सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र	(3)2
सरकारी संकल्प	(3)3
विधान कार्य—	(3)3
(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2014	
(ii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (सैकेण्ड अमैण्डमैंट) बिल, 2014	

मूल्य :

110

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 5 नवम्बर, 2014

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में पूर्वाह्न 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवरपाल गुर्जर) ने अध्यक्षता की।

प्रधान सचिव द्वारा घोषणा

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रधान सचिव घोषणा करेंगे।

प्रधान सचिव : मैं संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के सम्बंध में राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित प्रत्येक दस्तावेज़ की एक-एक प्रति सादर सदन की मेज़ पर रखता हूं :—

1. संयुक्त सचिव, राज्य सभा, नई दिल्ली से प्राप्त दिनांकित 11 सितम्बर, 2014;
2. लोकसभा में पुर: स्थापित रूप में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 (अंग्रेजी तथा हिन्दी अनुवाद);
3. संसद के सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 (अंग्रेजी तथा हिन्दी अनुवाद);
4. संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 पर लोकसभा डिबेट; तथा
5. संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 तथा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, 2014 पर राज्यसभा डिबेट।

नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री नियम 15 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

> कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबन्धों से मुक्त किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री नियम 16 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है —

> कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन की मेज पर रखे गए कागज-पत्र

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री सदन के पटल पर कागज पत्र रखेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर कागज पत्र क्रम संख्या 1 से 4 रखता हूं।

सरकारी संकल्प

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब वित्त मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

> कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ख) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

> कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ख) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि यह सदन भारत के संविधान के उन संशोधनों का अनुसमर्थन करता है जो उसके अनुच्छेद 368 के खंड (2) के परन्तुक के खंड (ख) की व्याप्ति में आते हैं तथा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित रूप में संविधान (एक सौ इक्कीसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधान कार्य

(i) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 3) बिल, 2014

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा विनियोग (नं० 3), विधेयक, 2014 प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विनियोग (नं० 3), विधेयक, 2014 प्रस्तुत करता हूं। मैं यह भी प्रस्ताब करता हूं—

कि हरियाणा विनियोग (नं० 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा विनियोग (नं० 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा विनियोग (नं० 3) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लॉज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लॉज 3 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लॉज 1 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि इनैक्टिंग फार्मूला बिल का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए।

वित्त मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(ii) दि हरियाणा वैल्यू ऐडिड टैक्स (सैकेण्ड अमैण्डमैंट) बिल, 2014

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2014 प्रस्तुत करेंगे और उस पर विचार करने के लिए भी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं---

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि अनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का अनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि यह टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब वित्त मंत्री प्रस्ताव पेश करेंगे कि विधेयक को पास किया जाए।

कैप्टन अभिमन्यु : मैं प्रस्ताव करता हूं—

कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि यह विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि हरियाणा मूल्य वर्धित कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है—

कि बिल पास किया जाए।

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

श्री अध्यक्ष : अब यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है।

(तत्पश्चात सदन अनिश्चित काल के लिए *स्थगित हुआ ।)

*10.15 बजे

Haryana Vidhan Sabha Secretariat * Chandigarh * LIBRARY

52905—H.V.S., H.G.P., Chd.